उत्तर प्रदेश शासन
उपभोक्ता संरक्षण एवं बाट माप अनुभाग-1
संख्या-15/2016/365/84-1-16-8बामा/2015
लखनऊ दिनॉक 17 मई, 2016

शुद्धि-पत्र

वित्तीय वर्ष 2016 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-21 के अन्तर्गत उ0प्र0 राज्य कर्मचारी कल्याण निगम में वर्ष 1988 से पूर्व सजित पदों पर कार्यरत कामिकों के वेतन भत्तों में भुगतान हेतु आयोजनेत्तर पक्ष् में प्राविधानित धनराशि रू0 61,44,000/- की धनराशि अधिशासी निदेशक, उ0प्र0 राज्य कर्मचारी कल्याण निगम के निर्वतन पर शासनादेश संख्या 13/2016/1030/84-1-15-8बामा/2015 दिनांक 06-04-2016 द्वारा रखी गई है।

2- उक्त शासनादेश के प्रस्तर-9 में यह उल्लिखित है कि "उक्त अनुदान से सम्बन्धित बिल प्रत्येक माह के वास्तविक व्यय विवरण के आधार पर खाद्य एवं रसद सचिव शाखा उ0प्र0 शासन के राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा।" इस सम्बन्ध में अधिशासी निदेशक, उ0प्र0 राज्य कर्मचारी कल्याण निगम द्वारा उक्त कार्य वित्त नियंत्रक खाद्य एवं रसद विभाग को आवंटित किये जाने के अनुरोध के दृष्टिगत उक्त शासनादेश दिनांक 06-04-2016 की शर्त संख्या-9 को इस शर्त के साथ संशोधित किया जाता है कि प्रत्येक माह प्रत्येक कार्मिक को भुगतान किये जा रहे बिल में निहित धनराशि आदि का विवरण शासन को प्रस्तुत किया जायेगा तथा इसमें होने वाली अनियमितता हेतु अधिशासी निदेशक, उ0प्र0 राज्य कर्मचारी कल्याण निगम उत्तरदायी होंगे।

3- अत उक्त शासनादेश दिनांक 06-04-2016 की शर्त संख्या निम्नवत संशोधित की जाती है :-

"उक्त अनुदान से सम्बन्धित बिल प्रत्येक माह के वास्तविक व्यय विवरण के आधार पर वित्त नियंत्रक खाद्य एवं रसद विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा।"

4- शासनादेश दिनॉक 06-04-2016 की शेष शर्तें पूर्ववत् रहेंगी। उक्त शासनादेश इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

डा0 जटा शंकर त्रिपाठी
अनु सचिव।

संख्या-15/2016/365(1)/84-1-16-8बामा/2015तद् दिनॉक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (सिविल/आडिट) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- आयुक्त, खाद्य एवं रसद उत्तर प्रदेश लखनऊ ।
4- वित्त नियंत्रक, खाद्य एवं रसद उत्तर प्रदेश लखनऊ ।
5- निदेशक, स्थानीय निधि लेखापरीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
6- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन/कलेक्टेट, लखनऊ।
7- राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (एन0आई0सी0), लखनऊ।
8- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/ वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-7
9- उपभोक्ता संरक्षण् एवं बाट माप अनुभाग-2 ।
10- गार्ड फाइल।
11- अधिशाषी निदेशक, उ0प्र0 राज्य कर्मचारी कल्याण निगम लि0।

आज्ञा से

(डा0 जटा शंकर त्रिपाठी)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in